परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि ——...है0 क्षेत्र में........ 9.73 कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। (कुल) भूमि – 1.1463 है0।

अनुमानित लागत : रू0 1400.44 लाख

जनपद : चमोली

विकासखण्ड : गैरसैंण

वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय : गैरसैंण

कम्पार्टमेन्ट नं0 : वन पंचायत भूमि

प्रयोक्ता एजेन्सी

निर्माण शाख़ा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, कर्णप्रयाग

आवश्यक प्रपत्रों की सामान्य सूची सारणी–12

क0 सं0	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग/अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
1.	सक्षम अधिकारी/ऑन–लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी का प्रमाण–पत्र	1	प्रस्तावक	प्रस्तावक
3	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–1	2	प्रस्तावक	प्रस्तावक
4	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–2	3	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
5	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–3	4	वन संरक्षक	वन संरक्षक
6.	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	5	प्रस्तावक	–
7.	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।	6	उप–जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति	समिति के सदस्य
8.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट। (Site Inspection Report)	7	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
9.	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट का मानचित्र जिसमें प्रस्तावित भूमि को अगल–अलग रंगों से दर्शाया गया हो।	8	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0/ जिलाधिकारी
10.	डिजिटल मैप व सी0डी0 में प्रस्तावित क्षेत्र को जी0पी0एस0 रिडिंग के साथ दर्शाया गया।	9	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0/ जिलाधिकारी
	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण	10	प्रस्तावक	प्रस्तावक/

11.	दर्शाया गया हो।			डी0एफ0ओ0 / जिलाधिकारी
12.	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	11	प्रस्तावक	प्रस्तावक
13.	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	12	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0 / जिलाधिकारी
14.	वैकल्पिक संरेखण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण का तुलनात्मक विवरण।	13	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
15.	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मॉग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र।	14	प्रस्तावक / जिलाधिकारी	प्रस्तावक / जिलाधिकारी / डी0एफ0ओ0
16.	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	15	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0 / जिलाधिकारी
17.	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	16	प्रस्तावक	प्रस्तावक
18.	बार चार्ट।	17	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
19.	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण–पत्र।	18	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
20.	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/ व्यासवार विवरण।	19	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
21	प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्याँकन/सारांश।	20	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
22	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।	21	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
23.	बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आख्या एवं प्रमाण–पत्र।	22	वन संरक्षक	वन संरक्षक
24.	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।	23	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
25.	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	24	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
26.	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दूरी का प्रमाण–पत्र।	25	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
27.	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	26	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
28.	राष्ट्रीय पार्को/वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व मा0 उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति।	27	प्रस्तावक	–
29.	प्रभावित होने वाले ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	28	प्रस्तावक	प्रस्तावक
30.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में लागत लाभ विश्लेषण की सूचना अंकित करना। लागत लाभ विश्लेषण के प्रपत्रों में परियोजना से होने वाले आर्थिक, सामाजिक एवं पारस्थितिकीय संतुलन का आंकलन। (5.00 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	29	प्रस्तावक	प्रस्तावक
31.	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	30	जिलाधिकारी / प्रस्तावक	जिलाधिकारी / उप खण्डीय समिति / ग्राम स्तरीय समिति
32.	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण। (केवल जल विद्युत परियोजनाओं हेतु)	31	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0

33.	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले–आउट प्लान	32	प्रस्तावक	प्रस्तावक
34.	परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक की आख्या।	33	भू–वैज्ञानिक	भू–वैज्ञानिक
35.	भू–वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	34	प्रस्तावक	प्रस्तावक
36.	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्क फोर्स की संस्तुतियाँ मान्य होने का प्रमाण–पत्र।	35	प्रस्तावक	प्रस्तावक
37.	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण–पत्र।	36	प्रस्तावक	प्रस्तावक
38.	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/ एतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण–पत्र।	37	जिलाधिकारी/ प्रस्तावक	जिलाधिकारी/ प्रस्तावक
39.	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण–पत्र।	38	प्रस्तावक	प्रस्तावक
40.	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण–पत्र।	39	प्रस्तावक	प्रस्तावक
43.	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/ परिवारों के विवरण का प्रमाण–पत्र।	40	प्रस्तावक	प्रस्तावक
44.	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेन्ट का प्रमाण–पत्र।	41	जिलाधिकारी	जिलाधिकारी
45	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दसवर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र। (1.00 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	42	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
46.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण–पत्र।	43	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
47.	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हों तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	44.	प्रस्तावक/डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक/डी0एफ0ओ0
48.	रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हों तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	45.	प्रस्तावक/डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक/डी0एफ0ओ0
49.	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण/ दस गुना/बौनी प्रजातियों/100 वृक्षों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	46.	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
50.	प्रस्तावित कार्य हेतु यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं भूमि धरों का भूमि धर होना का प्रमाण–पत्र।	47.	प्रस्तावक/भूस्वामी	भूस्वामी/जिलाधिकारी
51.	भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुये अनुबन्ध ।	48.	प्रस्तावक/भूस्वामी	भूस्वामी/जिलाधिकारी
52.	मलबा डिस्पोजल की विस्तृत योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों का प्राक्कलन।	49.	प्रस्तावक/डी0 एफ0ओ0	प्रस्तावक/डी0 एफ0ओ0
53.	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन।	50.	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
54.	एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण–पत्र।	51.	प्रस्तावक	प्रस्तावक
55.	प्रस्तावित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन।	52.	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
56.	लीज अवधि का प्रमाण–पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	53.	डी0एफ0ओ0/ प्रस्तावक	डी0एफ0ओ0/ प्रस्तावक
57.	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन न होने का ना होने का प्रमाण पत्र और होने की दशा में विवरण।	54.	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0/ प्रस्तावक
58.	जल विद्युत परियोजना हेतु कैट प्लान (यदि लागू हो) व कैट प्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र।	55.	डी0एफ0ओ0/ उच्चस्तरीय समिति	डी0एफ0ओ0/ प्रस्तावक

	स्वीकृति। (यदि लागू हो)			
60	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	57	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
	प्रस्ताव को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना व उक्त प्रस्ताव की दो सी0डी0 पी0डी0एफ0 फारमेट में उपलब्ध कराना।		प्रस्तावक	–

नोट :–उक्त समेकित चैक लिस्ट में समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रों का विवरण उल्लिखित है। प्रयोक्ता एजेन्सीज द्वारा प्रत्येक प्रयोजन हेतु इंगित प्रपत्रों को ही प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

3.7 पेयजल/सिंचाई परियोजनाओं हेतु संलग्न किये जाने वाले अतिरिक्त प्रपत्र एवं सूचनाओं का विवरण

सारणी–17

क0सं0	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण– पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग/ अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
I.	पाईप लाईन का व्यास	1	प्रस्तावक विभाग	प्रस्तावक विभाग
1	MSERW Pipe 250mmϕ			
1	MS ERW pipe 150 mmϕ			

A.A.E
Const.Division
Uttarakhand Peyjal Niga...
Karanprayag (Chamoli)

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)

Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

TO WHOM IT MAY CONCERNED TO

It is state that Mr. Madan Puri, Executive Engineer, Construction Division Uttrakhand Peyjal Nigam, Karanprayag is being authorized to make online submission of forest clearance proposal for the project as mentioned above on behalf of Uttrakhand Peyjal Nigam, Karanprayag user agent.

Superintending Engineer.

Superintending Engineer
Construction Circle.
Uttarakhand Peyjal Nigam
Gopeshwar (Chamoli).

फैक्ट सीट

1. प्रभावित भूमि का वैद्यानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हे0 में)	– गैरसैंण पम्पिंग पे0 यो0
आरक्षित वन भूमि	– .....—.....है0
वन पंचायत	– 1·1463 है0
सिविल सोयम भूमि	– .....—.....है0
नाप भूमि	– .....—.....है0
मलवा निस्तारण हेतु नाप भूमि	–
2. प्रस्तावक विभाग का नाम	–निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, कर्णप्रयाग
3. वन प्रभाग का नाम	– प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन प्रभाग
4. प्रस्ताव बांइडिग किया गया है।	– हॉ / नहीं
5. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है।	– हॉ / नहीं
6. क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग 1, 2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है।	– हॉ / नहीं
7. क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है।	– हॉ / नहीं
8. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है।	– हॉ / नहीं
9. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची / प्रमाण–पत्र संलग्न है।	– हॉ / नहीं
10. बॉज प्रजातियों के वृक्षों के प्रीावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण–पत्र संलग्न है।	– हॉ / नहीं
11. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है।	– हॉ / नहीं
12. समरेखण में आने वाले कुंल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है।	– हॉ / नहीं
13. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है।	– हॉ / नहीं
14. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है।	– हॉ / नहीं
15. क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है।	– हॉ / नहीं

स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है।

17. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। – हॉ / नहीं
18. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है यदि हॉ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है। – हॉ / नहीं
19. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है। – हॉ / नहीं
20. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें) – हॉ / नहीं
21. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग–अलग रंगों से भरा गया है। – हॉ / नहीं
22. यदि पे0यो0 का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है जो उस मार्ग को मानचित्र पद दर्शाया गया है। – हॉ / नहीं
23. क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है। – हॉ / नहीं
24. यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरूद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाये। – हॉ / नहीं
25. पेयजल योजना के निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें / वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शायें गये हैं। – हॉ / नहीं
26. वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाये।) – हॉ / नहीं
27. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत (5 है0 से कम है) (5 है0 से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा) – हॉ / नहीं
28. मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है। – हॉ / नहीं
29. मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र संलग्न है। – हॉ / नहीं

अथवा

मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र संलग्न है। – हॉ / नहीं

30. राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न है। – हॉ / नहीं
31. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण–पत्रों की फोटो प्रतियॉ मूल में – हॉ / नहीं

32. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण–पत्र संलग्न है। – हॉ / नहीं

33. वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है। – हॉ / नहीं

34. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण–पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है। – हॉ / नहीं

35. क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण–पत्र संलग्न है। – हॉ / नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण–पत्र / सूचनायें संलग्न कर दी गयी है।

अपर सहायक अभियन्ता निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, निगम, कर्णप्रयाग।	सहायक अभियन्ता निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, कर्णप्रयाग।	अधिशासी अभियन्ता निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल कर्णप्रयाग।

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि ......—......है0 क्षेत्र में 9.73 ......किमी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि – 1.1463 है0।

प्रारूप–2

भाग–1 (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :–

1–क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण। – गैरसैंण पंपिंग पे0यो0 की अनुमानित लागत रु0 1400.44 लाख है। यह गैरसैंण नगर पंचायत के संलग्न वार्ड नं 1,2,3,4,5 एवं 7 को लाभान्वित करेगी।

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। – संलग्न है।

ग) परियोजना की लागत। — 1400.44 लाख

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। — स्रोत एवं पाइप लाइन का सरेखण वन क्षेत्र में होने के कारण।

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए) — नागरिकों को रोजगार मिलने की संभावना।

च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। — समस्त नगर पंचायत को पेयजल उपलब्ध कराना

2–कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरणः

3– परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है — ×

क) परिवारों की संख्या

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) — ×

4–क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नही) — नही।

5– प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये) — नही

6– निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा। — संलग्न है।

A.E.
Constt. Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karnaprayag (Chamoli)

Executive Engineer
Constt. Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam

दिनांक .... सहायक अभियन्ता .... प्रयोक्ता एजेंसी के हस्ताक्षर नाम मोहर

निर्माण शाखा

परियोजना का नामः— चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि ....—........है0 क्षेत्र में ..9.73 Km.. ....कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। (कुल प्रस्तावित भूमि - 1.1463 है0।

प्रारूप—3

भाग—2 (संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जायेगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति

(i) राज्य / संघराज्यक्षेत्र

(ii) जिला

(iii) जिला वन प्रभाग

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र

17. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति:

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:

(i) वन का प्रकार

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा

19. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :

(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)

23. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :

(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

[illegible]

अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरूद्ध की गई कार्यवाही

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है।

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यान्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण–पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)।

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाघात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें

स्थान:

तारीख: हस्ताक्षर शासकीय मुद्रा

नाम

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि .....है0 क्षेत्र में 1.73 .....कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि – 1.1463 है0।

प्रारूप–4

28. क्या स्थल, जहां अंतर्वलित वन भूमि अवस्थित है उसका वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हां/नही)। यदि हां, तो निरीक्षण टिप्पण के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेषण की तारीख संलग्न की जाय।

29. क्या वन संरक्षक भाग 2 में दी गई जानकारी और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत है।

30. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

स्थानः तारीखः हस्ताक्षर शासकीय मुद्रा

नाम

परियोजना का नामः— चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि ......—........है0 क्षेत्र में 9.73 ....कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि - 1.1463 है0।

प्रारूप—5

परियोजना का नामः— गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण—पत्र

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्गत शासकीय वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति की छायाप्रति प्रमाणित कर संलग्न की जानी है। यदि कतिपय परियोजनाओं की एकमुश्त स्वीकृति प्राप्त हो तो प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति को हाई लाईट किया जाय। संलग्न है।

A.A.E
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)

Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

ह0/ प्रयोक्ता
एजेन्सी

संख्या– 823 /उन्तीस(2)/19–2(11 पे0)/2019

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून : दिनांकः 28 जून,2019

विषय :– राज्य सैक्टर (नगरीय) कार्यक्रम के अंतग्रत 32 नगरीय पेयजल योजनाओ के प्रथम चरण के प्राक्कलन हेतु धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 579/नगर अनु0 वाह्य सहायतित/17 दिनांक 21 मई, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष, 2019–20 में 32 नगरो की पेयजल योजनाओं के प्रथम चरण के प्राक्कलन हेतु विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी कुल लागत रू0 2699.30 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संलग्न विवरणानुसार योजनाओं हेतु निजी भूमि प्रबन्ध, वन भूमि की स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक कार्यो हेतु कुल रू0 1021.02 लाख (रू0 दस करोड इक्कीस लाख दो हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके दिया जायेगा।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च,2020 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iii) उक्त योजना की धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हों, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा बजट मैन्युवल , उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 व वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों/आदेशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(iv) उक्त धनराशि को स्वीकृत एवं व्यय करते समय योजना के संबंध में भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशो एवं मानकों का अनुपालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(v) उक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि का योजनावार आवंटन एवं व्यय योजना की अनुमोदित लागत की सीमा तक ही किया जायेगा। योजना हेतु अनुमोदित लागत से अधिक का आवंटन कदापि न किया जाय।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुदान संख्या–13, लेखाशीर्षक–4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय– 01–जलापूर्ति–101–शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम –03–नगरीय पेयजल–01–नगरीय पेयजल /जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण– 24 वृहत् निर्माण कार्य मद के नामें डाला जायेगा।

3. धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या– H 19060130034 दिनांक 26 जून,2019 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या–254/3(150)-2017/XXVII(1)/2019 दिनांक 29 मार्च,2019 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. यह आदेश वि0 वि0 के अ0 शा0 संख्या– 147 / XXVII (2) /2019 दिनांक 26 जून, 2019 में उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक ; यथोपरि

भवदीय,

(महावीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव

पृ0 संख्या– /उन्तीस(2)/19–2(11 पे0)/2019, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
7. बजट निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–/2, उत्तराखण्ड शासन।
9. मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव

प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम देहरादून
पत्रांक [illegible] दिनांक 02-7-19

प्रतिलिपि 1. मुख्य अभि० (कु०) / (गढ़वाल) हल्द्वानी / पौड़ी
2. अधीक्षण अभियन्ता (उत्तर)
3. [illegible]
4. [illegible]

राज्य सैक्टर (नगरीय) पी0–1 वर्ष 2019–20

धनराशि (रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद	योजना का नाम	प्रथम चरण के प्राक्कलन की टी0ए0सी0 उपरान्त लागत	योजना हेतु निजी भूमि प्रबन्ध, वन भूमि स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक कार्यो हेतु धनराशि की मांग
01	02	03	04	05
1	अल्मोडा	भिकियासैन पम्पिंग पे0यो0	72.58	51.09
2	चम्पावत	लोहाघाट टाउन पम्पिंग पे0यो0	69.42	24.28
3	हरिद्वार	शिवालिक नगर पम्पिंग पे0यो0	122.98	5.46
4	हरिद्वार	भगवानपुर पम्पिंग पे0यो0	95.77	4.50
5	हरिद्वार	झबरेडा पम्पिंग पे0यो0	59.60	3.21
6	हरिद्वार	लक्सर पम्पिग पे0यो0	66.95	3.47
7	हरिद्वार	पिरान कलियर पम्पिंग पे0यो0	65.09	3.40
8	हरिद्वार	लण्डोरा पम्पिंग पे0यो0	124.86	5.53
9	टिहरी गढवाल	कीर्तिनगर पम्पिंग पे0यो0	39.43	13.33
10	टिहरी गढवाल	चम्बा पम्पिंग पे0यो0	109.70	48.20
11	टिहरी गढवाल	लम्बगांव पम्पिंग पे0यो0	19.70	6.62
12	टिहरी गढवाल	नई टिहरी (पुर्न0) पम्पिंग पे0यो0	170.89	47.23
13	चमोली	नन्दप्रयाग पम्पिंग पे0यो0	28.96	14.61
14	चमोली	जोशीमठ पम्पिंग पे0यो0	25.29	11.48
15	चमोली	पीपलकोटी पम्पिंग पे0यो0	46.72	24.84
16	चमोली	गोपेश्वर पम्पिंग पे0यो0	40.25	22.32
17	चमोली	थराली नगर पंचायत पम्पिंग पे0यो0	30.02 ✓	13.55
18	चमोली	गैरसैण पम्पिंग पे0यो0	66.85 ✓	17.03
19	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि पम्पिंग पे0यो0	43.54	9.60
20	रूद्रप्रयाग	तिलवाडा नगर पंचायत पम्पिंग पे0यो0	41.21	28.15

क्र0 सं0	जनपद	योजना का नाम	प्रथम चरण के प्राक्कलन की टी0ए0सी0 उपरान्त लागत	योजना हेतु निजी भूमि प्रबन्ध, वन भूमि स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक कार्यो हेतु धनराशि की मांग
01	02	03	04	05
21	रूद्रप्रयाग	ऊखीमठ पम्पिंग पे0यो0	43.61	15.52
22	रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग नगर पम्पिंग पे0यो0	42.54	7.69
23	उत्तरकाशी	चिंयालीसौड पम्पिंग पे0यो0	194.58	129.93
24	उत्तरकाशी	नौगांव पम्पिंग पे0यो0	53.98	23.76
25	उत्तरकाशी	पुरोला पम्पिंग पे0यो0	167.62	133.37
26	उत्तरकाशी	बडकोट पम्पिंग पे0यो0	172.22	140.07
27	नैनीताल	भीमताल पम्पिंग पे0यो0	106.47	62.79
28	पिथौरागढ़	गंगोलीहाट पम्पिंग पे0यो0	73.65	18.66
29	पिथौरागढ़	बेरीनाग पम्पिंग पे0यो0	79.94	20.08
30	ऊधमसिंहनगर	जसपुर नगर जोन–2 पे0यो0	88.05	4.22
31	बागेश्वर	बागेश्वर पम्पिंग पे0यो0	225.00	29.35
32	नैनीताल	भवाली पम्पिंग पे0यो0	111.83	77.71
		महायोग	2699.30	1021.02

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि ......—......है0 क्षेत्र में ...9.73 ....कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि - 1.1463 है0।

प्रारूप–6

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप

आज दिनॉक 2/05/2019 को उ0पे0नि0 कार्यदायी (एजेन्सी का नाम) के द्वारा रामगंगा नदी से गैरसैंण तक बनाये जाने वाले ~~मार्ग~~/प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री [illegible] राजस्व विभाग की ओर से श्री...[illegible] प्रसाद डिमरी प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री [illegible] अन्य दावेदारोंकी ओर से श्री .... तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में श्री .... के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें ......×...... (मी0) नाप भूमि.से, ...×...... (मी0) सिविल भूमि से 1.1463 (मी0) वन पंचायत वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में ... × ... है0नाप भूमि......×...... है0 सिविल भूमि......×...... है0वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 .... है0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल .... है0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग............ वृक्ष .... प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे,जिनमें से ......बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

इस समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें (मी0) नाप भूमि.से, ...×...... (मी0) सिविल भूमि से, ...×...... (मी0) वन पंचायत से ......×...... (मी0)आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल ......×...... है0 नाप भूमि......×...... है0 ......×...... है0 सिविल भूमि......×...... है0वन पंचायत भूमि ......×...... है0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। है0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग............ वृक्ष .... के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे,जिनमें से .... बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण आरक्षित वन .... कक्षोंसेगुजरेगा/में स्थित है। इन कक्षों की वर्तमान वन आच्छादन.. .... है एवं इन कक्षों में .... प्रजातिके वन हैं। प्रभावित होने वाली नाप भूमि .... पर .... प्रजाति के वन हैं एवं प्रभावित होने वाली सिविल तथा नाप .... भूमिपर प्रजाति के वन हैं जिनका वर्तमान वन आच्छादन .... है। चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान 30°35' 79°01' है तथा यह स्थल रामगंगा नदी से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल ग0 (टैंक) है जिसका GPS मान .... है। चुने गये समरेखण/स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान 30°05'23.50" N 79°17'01.59" E

चयनित समरेखन में कुल .... पौधों को अन्य स्थानान्तरित (translocate)किया जाना आवश्यक होगा।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन होगा / नही होगा ।

इस समरेखण पर पेयजल योजना के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु ×
स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान × हैं।

अन्य आवश्यक विवरण इस योजना के निर्माण के फलस्वरूप किसी भी प्रकार के वृक्ष प्रभावित नहीं होंगे। जो भी मलबा उत्सर्जित होगा उसका निस्तारण उसी स्थल के भराव में किया जायेगा।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
(प्रयोक्ता संस्था)	(वन विभाग)	(राजस्व विभाग)	(अन्य दावेदार)	(जन प्रतिनिधि)
प्रतिनिधि	प्रतिनिधि	प्रतिनिधि	प्रतिनिधि	प्रतिनिधि

A.A.E
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

नोट– इस रिपोर्ट पर भूवैज्ञानिक की राय भी प्रस्ताव बनाने से पूर्व में ही प्राप्त कर ली जाये।

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)

Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

वन क्षेत्राधिकारी
लोहबा रेंज
गैरसैंण (चमोली)

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

तहसीलदार
गैरसैंण

वन क्षेत्राधिकारी
गैरसैंण
[illegible] चमोली

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना निर्माण कार्य हेतु वनभूमि प्रस्ताव।

प्रतिवेदन

(परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण)

जनपद चमोली के विकासखण्ड़ गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण नगर पंचायत पंम्पिंग पेयजल योजना अनुमानित लागत रू0 1400.44 लाख का निर्माण बाह्य सहायतित कार्यक्रम (ई.ए.पी.) के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है जिस हेतु योजना के प्रथम चरण के लिए उत्तराखण्ड़ शासन के शासनादेश सं0 823/उन्तीस(2)19–2(11–पे0)2019 दिनांक 28 जून 2019 द्वारा भूमि प्रबन्धन/वनभूमि स्वीकृति हेतु रू0 16.85 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। भूमि प्रबन्धन/वनभूमि की स्वीकृति के उपरान्त निर्माण कार्य हेतु केन्द्र सरकार से वित्त पोषण किया जाना है। गैरसैंण नगर पंचायत में वर्तमान में 70 एल.पी.सी.डी. से कम पानी उपलब्ध हो रहा है। नगर क्षेत्र के मानक के आधार पर 135 एल.पी.सी.डी. की दर से पेयजल उपलब्ध कराये जाने की शासन की नीति है, साथ ही इस योजना से विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण को भी पेयजल की सुविधा उपलबध करायी जानी है। योजना की डिजाईन अवधि आगामी 30 वर्ष अर्थात वर्ष 2052 रखी गयी है तथा उक्त डिजाईन वर्ष में 27298 की जनसंख्या लाभान्वित होगी। वर्तमान में नगर पंचायत गैरसैंण के 07 (सात) वार्ड एवं विधानसभा परिसर गैरसैंण सहित लगभग 18196 जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध होगा। इस योजना के निर्माण से क्षेत्र की जनता को रोजगार भी उपलब्ध होगा। इस परियोजना हेतु 1.1463 हे0 वन पंचायत भूमि वन पंचायत तलगांव, वन पंचायत मरोड़ा एवं वन पंचायत परवाड़ी में चिन्हित की गयी है। प्रस्तावित भूमि में वन सम्पदा को क्षति नहीं होनी है। अतः उक्त कार्य जनहित में किया जाना अति आवश्यक है।

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना निर्माण कार्य हेतु वनभूमि प्रस्ताव।

(कोई अन्य वैकल्पिक संरेखण न होने का प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण नगर पंचायत पंम्पिंग पेयजल योजना निर्माण हेतु सबसे नजदीकी एवं मितव्ययी संरेखण प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त कोई मितव्ययी प्रस्ताव सम्भव नहीं है।

अधिशासी अभियन्ता

Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि ....—..........है0 क्षेत्र में..9.73 ....कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य।

प्रारूप–7

SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)

ii) A proposal has been received by this office from..Construction Division U.K.P.J.N. KPG...for diversion under FCA-1980) of..—..ha. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of x..Gairsain Pumping W.S....The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated..................

iii) On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring..................ha.

iv) The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.

v) Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :-

vi) xx Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.-

The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation). Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(नोट– प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति/टिप्पणी आवश्यक रूप से अंकित की जाय)

(Signature)

Place:-..............................

Name...............

Date.............................. Designation.............

Office Seal ....

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC darted 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forests is required.

परियोजना का नामः— चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि ......—......है0 क्षेत्र में...9.73 ....कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। (कुल प्रस्तावित भूमि - 1.1463 है0।)

प्रारूप—8

परियोजना का नामः— गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

प्रपत्र संख्या—8 हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के साथ सर्वे आफ इण्डिया के 1:50,000 पैमाने की टोपोशीट पर परियोजना को लाल रंग से प्रदर्शित किया जाना है, तथा आस-पास की विभिन्न प्रकार की भूमि को भिन्न—2 निर्धारित रंगों से प्रदर्शित किया जाना है तथा इनका विवरण संकेत तालिका में भी अनिवार्य रूप से अंकित किया जाय। निर्धारित रंगों का विवरण निम्नानुसार है। इसके अतिरिक्त सड़क निर्माण के प्रकरणों में क्षेत्र में विद्यमान सड़कों का नेटवर्क तथा प्रस्तावित मार्ग जिस पूर्व निर्मित मार्ग से प्रारम्भ हो रहा है, को भी अनिवार्य रूप से अंकित किया जाय।)

1. आरक्षित वन भूमि को हरे रंग से।
2. सिविल एवं सोयम भूमि को पीले रंग से।
3. वन पंचायत भूमि को नीले रंग से।
4. संरक्षित वन भूमि को भूरे रंग से।
5. नाप भूमि को अन्य किसी रंग से।

(इस मानचित्र में प्रयोक्ता एजेन्सी एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।)

मानचित्र संलग्न है।

A.A.E
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karnaprayag (Chamoli)

Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

ह0/—
प्रयोक्ता एजेन्सी

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)

डिजिटल मैपः—जनपद चमोली में विकासखण्ड गैरसैंण के अंतर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य हेतु

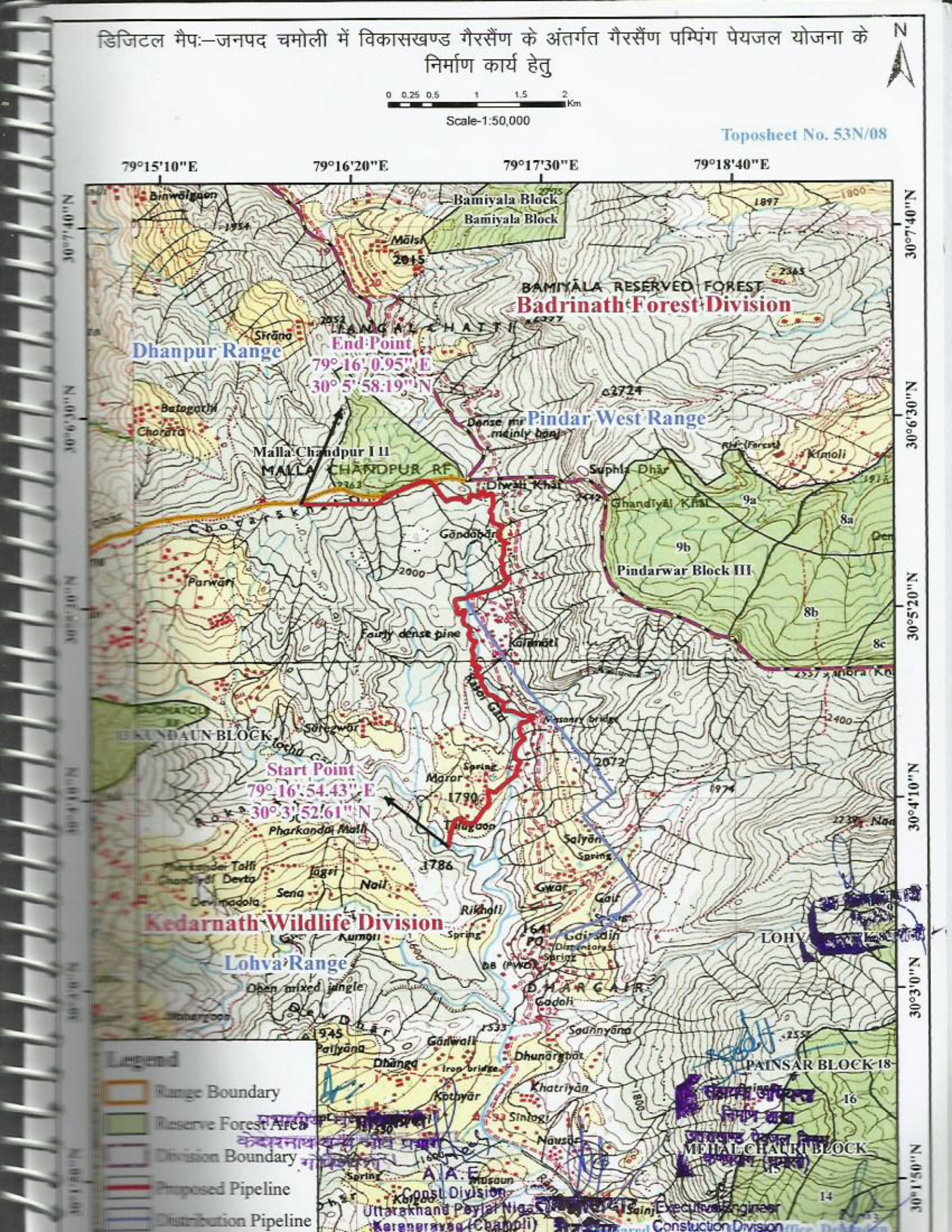

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि .....है0 क्षेत्र में 9.23 .....कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि - 1.1463 है0।

प्रारूप–9

परियोजना का नाम.:– गैरसैंण पम्पिंग पे0 यो0

प्रपत्र संख्या–9 हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के साथ सर्वे आफ इण्डिया के 1:50,000 पैमाने के डिजिटल मानचित्र पर परियोजना को प्रदर्शित करते हुए जी0पी0एस0 रीडिंग अंकित की जानी है व प्रपत्र संख्या–8 की सूचनाऐं भी सम्मिलित की जानी हैं।

(इस डिजिटल मानचित्र में मानचित्र कर्ता सहित प्रयोक्ता एजेन्सी एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।) संलग्न है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

A.E
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

वन क्षेत्राधिकारी
लोहवा रेंज
गैरसैंण (चमोली)

तहसीलदार
गैरसैंण

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

परियोजना का नामः— चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि .....है0 क्षेत्र में 7.73 .....कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि - 1.1463 है0।

प्रारूप—10

परियोजना का नाम:— गैरसैंण पम्पिंग पे0 यो0.

प्रपत्र संख्या—10 हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के साथ गूगल मानचित्र (.kml file में) पर प्रस्तावित परियोजना को प्रदर्शित किया जाना है तथा प्रस्तावित संरेखण की जी0पी0एस0 रीडिंग भी अंकित की जानी है।

(इस गूगल मानचित्र में प्रयोक्ता एजेन्सी एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।) संलग्न है।

A.A.E
Const.Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)

Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

वन क्षेत्राधिकारी
लोहवा रेंज
गैरसैंण (चमोली)

तहसीलदार
गैरसैंण

जिलाधिकारी
गैरसैंण
चमोली

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

परियोजना का नामः— चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि ......—...... है0 क्षेत्र में ...1.73... कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि – 1.1463 है0।

प्रारूप—11

परियोजना का नामः— गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि की मांग का पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए विस्तृत आख्या प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

जनपद चमोली अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना प्रस्तावित है। योजना के अन्तर्गत गैरसैंण विकासखण्ड की नगर पंचायत गैरसैंण के वार्ड सं0 1,2,3,4,5 एवं 7 को लाभान्वित किया जाना है। योजना की अनुमानित लागत रू0 1400.44.लाख है। यह पम्पिंग पेयजल योजना है तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त धन अवमुक्त किया जायेगा।

AAE

हस्ताक्षर एवं नाम प्रयोक्ता एजेन्सी
विभागीय मुहर सहित

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि .....है0 क्षेत्र में 1.73 .....कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। (कुल प्रस्तावित भूमि - 1.1463 है0।

प्रारूप–12

परियोजना का नामः– गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

प्रपत्र संख्या–14 हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के साथ गूगल मानचित्र (.kml file में) पर प्रस्तावित कार्य का विवरण तथा वैकल्पिक संरेखण/स्थल को प्रदर्शित किया जाना है तथा प्रस्तावित संरेखण एवं वैकल्पिक संरेखण की जी0पी0एस0 रीडिंग भी अंकित की जानी है।
(इस गूगल मानचित्र में प्रयोक्ता एजेन्सी एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।)

A.A.E
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)

Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)
प्रयोक्ता एजेन्सी

जियोरेफेरेन्स मैप:—जनपद चमोली में विकासखण्ड गैरसैंण के अंतर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य हेतु

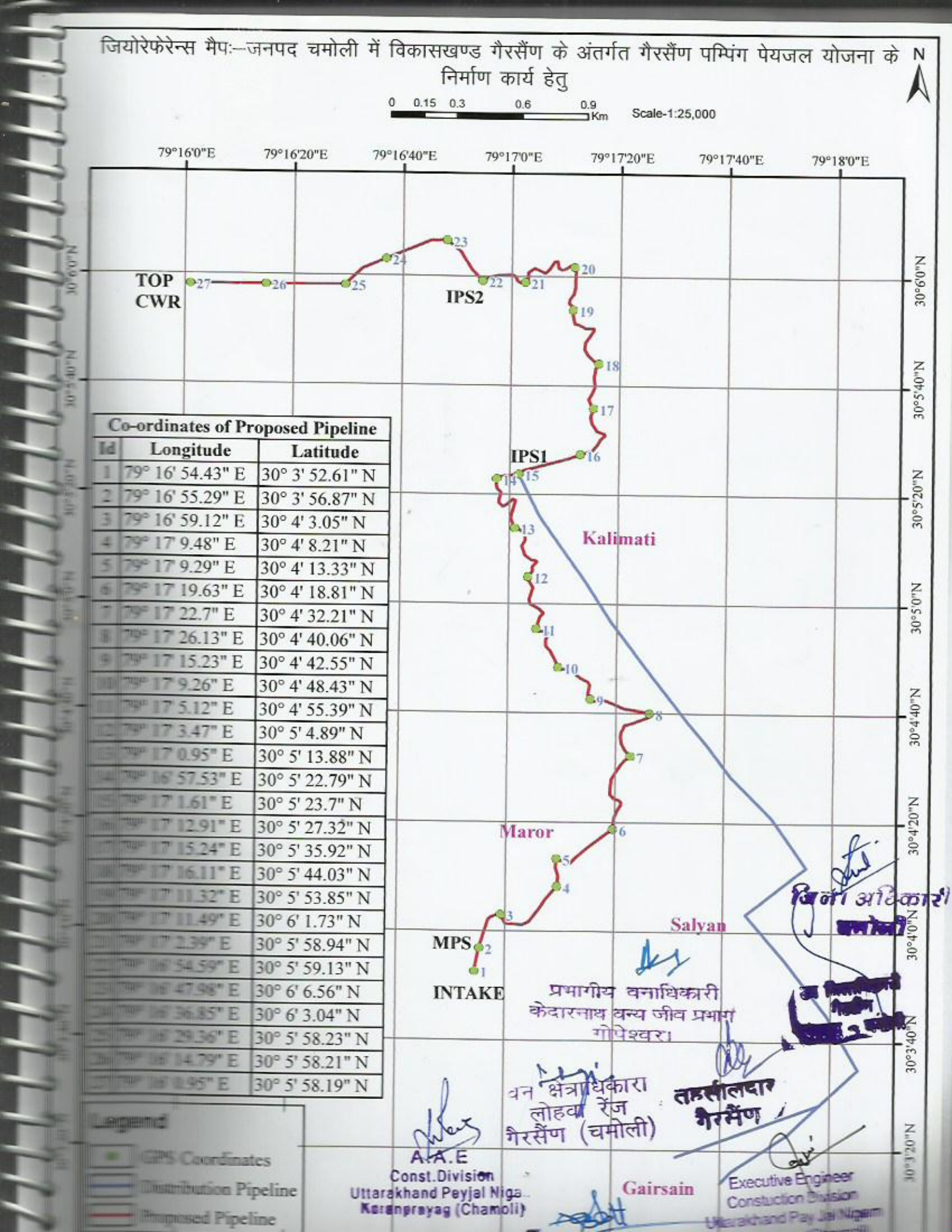

Co-ordinates of Proposed Pipeline		
Id	Longitude	Latitude
1	79° 16' 54.43" E	30° 3' 52.61" N
2	79° 16' 55.29" E	30° 3' 56.87" N
3	79° 16' 59.12" E	30° 4' 3.05" N
4	79° 17' 9.48" E	30° 4' 8.21" N
5	79° 17' 9.29" E	30° 4' 13.33" N
6	79° 17' 19.63" E	30° 4' 18.81" N
7	79° 17' 22.7" E	30° 4' 32.21" N
8	79° 17' 26.13" E	30° 4' 40.06" N
9	79° 17' 15.23" E	30° 4' 42.55" N
10	79° 17' 9.26" E	30° 4' 48.43" N
11	79° 17' 5.12" E	30° 4' 55.39" N
12	79° 17' 3.47" E	30° 5' 4.89" N
13	79° 17' 0.95" E	30° 5' 13.88" N
14	79° 16' 57.53" E	30° 5' 22.79" N
15	79° 17' 1.61" E	30° 5' 23.7" N
16	79° 17' 12.91" E	30° 5' 27.32" N
17	79° 17' 15.24" E	30° 5' 35.92" N
18	79° 17' 16.11" E	30° 5' 44.03" N
19	79° 17' 11.32" E	30° 5' 53.85" N
20	79° 17' 11.49" E	30° 6' 1.73" N
21	79° 17' 2.39" E	30° 5' 58.94" N
22	79° 16' 54.59" E	30° 5' 59.13" N
23	79° 16' 47.98" E	30° 6' 6.56" N
24	79° 16' 36.85" E	30° 6' 3.04" N
25	79° 16' 29.36" E	30° 5' 58.23" N
26	79° 16' 14.79" E	30° 5' 58.21" N
27	79° 16' 0.95" E	30° 5' 58.19" N

Legend
- GPS Coordinates
- Distribution Pipeline
- Proposed Pipeline

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

वन क्षेत्राधिकारी
लोहवा रेंज
गैरसैंण (चमोली)

तहसीलदार
गैरसैंण

A.E
Const.Division
Uttarakhand Peyjal Niga...
Karanprayag (Chamoli)

Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि ......—...... है0 क्षेत्र में 9.73 .... कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि - 1.1463 है0

प्रारूप–13

Performa for comparison between identified alignments

Sl.No	Variables	Alignment No-1	Alignment No-2
1	Topography		
2	Length of Road		
3	Bridging requirement No. and Length		
4	Geometric		
	(a) Gradients		
	(b) Curves, H.P Bends		
5	Existing Means of communication, mule path, jeep, Tracks etc.		
6	Right of way, bringing out. construction on account of built up areas, monuments and other structures.		

लागू नहीं है

7	(a) Terrain &Soil Condition.		
	(vi) Cliffs and gorges.(vii) Drainage characteristics of the area including supceptibility to flooding .(viii) General elevation of the road indicating maximum and minimum height negotiated by main ascends and discends.(ix) Variations extants and types.		
8.	Climate Condition:(a) Temperature Monthly max. & min. reading.(b) Rainfall data average annual peak intensities monthly distribution (to the extent available) .(c) Snowfall data average annual peak intensities monthly distribution (to the extent available) .(d) Wind direction and velocities.(e) Fog Condition.(f) Exposure to sun.(g) Unusual weather condition like cloud brust etc.		
9.	Facilities resources. (a) Landing ground. (b) Dropping Zone. (c) Food stuffs. (d) Labour local availability and need for import. (e) Construction material (Timber, Bamboo, Sand, Stone, Shingle etc. extent of their availability and lead involved.		
10.	Value of land, agricultural land, Irrigated land, bult up land, forest land etc.		
11.	Approximate Const. Cost.		
12.	Access point indicating possibility of induction of equipment.		
13.	Period required for construction.		
14.	Strategic Consideration.		
15.	Important villages, towns and markets centers to be connected.		
16.	Recreational potential.		
17.	Economic Factors: (a) Population served by the alignment.		

	(b) Agricultures and economic potential of the area.		
•	other major development		
	projects being taken up electric projects etc.		
•	(i) Misc. Such as camping sites Law and other problem (iii) Royalty		
	(iv) Availability of contractors for collection and carriage of construction material (v) working period available for		
	construction of work.		
20.	Total No. of trees to be removed .		
21.	Average Density of forest cover .		
22.	Total No. of Merits		
23.	Total No. of Demerits		

RECOMMENDATIONS:

Alignment no. ( ) Recommended for approval being more economical, useful & technically feasible.

A. Assistant. Engineer/J.E.	Assistant Engineer	Executive Engineer
,P.WD./UA	P.WD./UA	P.W.D./UA
.....	.....	.....

Note - Signature and approval of the concerned DFO is essential.

A.A.E
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)

Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि .....है0 क्षेत्र में 9.73 कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि- 1.1463 है0।

प्रारूप–14

परियोजना का नामः– गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित 1.1463 है0 वन भूमि की मांग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।

Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)
ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0/
प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

ह0/
जिलाधिकारी
चमोली

A.E
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)

वन क्षेत्राधिकारी
लोहवा रेंज
गैरसैंण (चमोली)

तहसीलदार
गैरसैंण

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि . ...—........है0 क्षेत्र में.....9.70.....कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि – 1.1463 है0।

प्रारूप–15

परियोजना का नामः– गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

लैन्ड शेड्यूल (आरक्षित वन भूमि)

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लाक का नाम	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौडाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (है0)
चमोली	केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग	लोहबा रेंज	–	–	–	–

Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)
ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

वन क्षेत्राधिकारी
लोहबा रेंज
गैरसैंण (चमोली)

प्रभागीय वनाधिकारी
ह0/–
प्रभागीयवनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

A.A.E
Const.Division
Uttarakhand Peyjal Nig.
Karanprayag (Chamoli)

तहसीलदार
गैरसैंण

उप जिलाधिकारी
गैरसैंण
जनपद – चमोली

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि ——— है0 क्षेत्र में 9.73 ..कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि 1.1463 है0

प्रारूप–15.1

परियोजना का नामः– गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

लैन्ड शेड्यूल

(सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि हेतु राजस्व विभाग द्वारा दिया जाना है।)

भूमि की श्रेणी	जिला	तहसील	ब्लाक	प्रयोजना में किये जाने वाले कार्य	खसरा सं0	कुल रकवा	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (है0)
सिविल एवं सोयम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
वन पंचायत भूमि	चमोली	गैरसैंण	गैरसैंण तलगांव (मरोड़ा	पाईप लाईन	—	—	9730.00	0.60	5838.00
				ट्रीटमेन्ट प्लान्ट	—	—	84.00	50.00	4200.00
				पम्प हाउस	—	—	2X10.00	10.00	200.00
				सम्प 125 के.एल.	—	—	8.00	8.00	64.00
				सम्प 60 के.एल.	—	—	6.00	6.00	36.00
				स्टाफ क्वार्टर	—	—	5X7.50	6.00	225.00
				एप्रेच रोड	—	—	300.00	3.00	900.00
आरक्षित वन भूमि	—	—	—	—	—	—	—	—	
नाप भूमि	—	—	—	—	—	—	—	—	11463.00 वर्ग मी0
कुल योग	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1463 है0

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

वन क्षेत्राधिकारी
[illegible] रेंज
गैरसैंण (चमोली)

जिला अधिकारी
चमोली
जिलाधिकारी

परियोजना का नामः— चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि .....है0 क्षेत्र में 1.73 कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि — 1.1463 है0।

प्रारूप—16

परियोजना का नामः— गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

(परियोजना की लम्बाई चौड़ाई का विवरण)

क्र0सं0	भूमि की श्रेणी	परियोजना में किये जाने वाले कार्य	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	कुल क्षेत्रफल (हे0)
1	आरक्षित वन भूमि	—	—	—	—
2	सिविल एवं सोयम	—	—	—	—
3	वन पंचायत भूमि	पाईप लाईन	9730.00	0.60	5838.00
		ट्रीटमेन्ट प्लान्ट	84.00	50.00	4200.00
		पम्प हाउस	2X10.00	10.00	200.00
		सम्प 125 के.एल.	8.00	8.00	64.00
		सम्प 60 के.एल.	6.00	6.00	36.00
		स्टाफ क्वार्टर	5X7.50	6.00	225.00
		एप्रेच रोड़	300.00	3.00	900.00
4	अन्य श्रेणी की वन भूमि (यदि लागू हो)	—	—	—	—
	योग वन भूमि	—	—	—	11463.00 वर्ग मी०
	नाप भूमि	—	—	—	
	कुल योग	—	—	—	1.1463 हे०

Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)
प्रयोक्ता एजेन्सी

A.A.E.
Const.Division
Uttarakhand Peyjal Nig.
Karanprayag (Chamoli)

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

वन क्षेत्राधिकारी
लोहवा रेंज
गैरसैंण (चमोली)

हo/—
जिलाधिकारी

तहसीलदार
गैरसैंण

परियोजना का नामः— चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि ....—......है0 क्षेत्र में...9.73.......कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित क्षेत्र – 1.1463 है0

प्रारूप—17

परियोजना का नामः— गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

बारचार्ट

कि0मी0 | कि0मी0

स्रोत कार्य पद्धति	वन पंचायत	9730.00 मी0	9.730 Km.
लाइन /जलाशय	भूमि	—	
M.P.S. I.P.S	—	—	

नोट :— (प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु)

1. जिस किमी0 पर जो ग्राम पड़ता हो, उसके नाम का भी बारचार्ट में उल्लेख किया जाय।
2. यदि प्रस्तावित मार्ग पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्मित किया जाना है तो पूर्व निर्मित मार्ग के नाम का बारचार्ट में उल्लेख करते हुये भारत सरकार की स्वीकृति का भी उल्लेख किया जाय एवं तदनुसार आगे निर्मित किये जाने वाले प्रस्तावित मार्ग के किमी0 का क्रमशः उल्लेख करें।
3. यदि मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना प्रस्तावित हो तो पूर्व निर्मित मार्ग की चौड़ाई का उल्लेख करते हुये वर्तमान में प्रस्तावित मार्ग के चौड़ाई का बारचार्ट में स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
4. मानचित्र में दर्शाये गये चिह्न

A.A.E
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karnaprayag (Chamoli)

संकेत तालिका

भूमि की श्रेणी	रंग	क्षेत्रफल (है0 में)
आरक्षित वन भूमि	हरा	
सिविल एवं सोयम भूमि	पीला	
वन पंचायत भूमि	बैंगनी / नीला	
संरक्षित वन भूमि	भूरा	
नाप भूमि	सफेद /अन्य रंग	

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karnaprayag (Chamoli)

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)

वन क्षेत्राधिकारी
लोहबा रेंज
गैरसैंण (चमोली)

तहसीलदार
गैरसैंण

उप जिलाधिकारी
गैरसैंण
जनपद - चमोली

प्रभागीय वनाधिकारी

ह0/—
प्रयोक्ता एजेन्सी

BAR CHART OF GAIRSAIN NAGAR PANCHAYAT PUMPING WATER SUPPLY SCHEME

वन पंचायत - तलगांव / मरोड़ा ।

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

वन क्षेत्राधिकारी
लोहवा रेंज
गैरसैंण (चमोली)

उप जिलाधिकारी
गैरसैंण
जनपद - चमोली

A.A.E
Const.Division
Uttarakhand Peyjal Nig.
Karanprayag (Chamoli)

तहसीलदार
गैरसैंण

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

LEGEND	
VANPANCHAYAT LAND	(purple bar)

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि . ...—.........है0 क्षेत्र में....9.73.......कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि - 1.1463 है0।

प्रारूप–18

परियोजना का नामः– गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pey Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

वन क्षेत्राधिकारी
लोहबा रेंज
गैरसैंण (चमोली)

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर।

A.A.E
Const.Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि . ...है0 क्षेत्र में 9.73 ....कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। (कुल प्रस्तावित भूमि 1.1463 है0)

प्रारूप–19

परियोजना का नामः– गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 2/5/19 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई

प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार/प्रजातिवार/व्यास वार विवरण।

क्रम	भूमि की श्रेणी	वनब्लाक / कम्पार्टमेन्ट /खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग								
					20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90 से अधिक	योग
1.	आरक्षित वन भूमि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	सिविल सोयम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	वन पंचायत	तोलागांव मरोड़ा		—	1	2	3	1	—	—	—	—	7
4.	संरक्षित वन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	योग – वन भूमि	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
5.	नाप भूमि	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—
	कुल योग –												7

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

वन क्षेत्राधिकारी लोहवा रेंज
तहसीलदार गैरसैंण चमोली

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
वन क्षेत्राधिकारी	प्रभागीय वनाधिकारी	राजस्व विभाग	जिलाधिकारी

परियोजना का नामः— चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि . ....—.........है0 क्षेत्र में 9.73......किमी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि - 1.1463 है0।

प्रारूप–20

परियोजना का नामः— गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन।
आरक्षित वन भूमि / सिविल सोयम भूमि / वन पंचायत भूमि/ संरक्षित वन भूमि/ नाप भूमि

क0सं0	वृक्ष प्रजाति का नाम	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	दर	कुल मूल्य
1.	मेहल/बांज	20—30	1 No.		
2.	बांज	30—40	2 No.		
3.	बांज	40—50	3 No.		
		50—60	1 No.		
		60—70			
		70—80			
		80—90			
		कुल योग			

वन क्षेत्राधिकारी
रवि0 प्रभारी रेंज
गैरसैंण (चमोली)

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

नोट— आरक्षित वन भूमि / सिविल सोयम भूमि / वन पंचायत भूमि/ संरक्षित वन भूमि/ नाप भूमि के लिये उपरोक्त मुल्यांकन अलग अलग करना होगा ।

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि . ...—.........है0 क्षेत्र में...1.73.....कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि- 1.1463है0।

प्रारूप–20.1

परियोजना का नामः– गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

क्र0सं0	भूमि का प्रकार									योग
		20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90 से अधिक	
1	आरक्षित वन भूमि	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	सिविल सोयम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	संरक्षित वन	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	वन पंचायत	1	2	3	1	—	—	—	—	7
5	वन भूमि का योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	नाप भूमि	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल योग									7

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

ह0/–
वन क्षेत्राधिकारी
रेंज अधिकारी
लोहबा रेंज
गैरसैंण (चमोली)

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

परियोजना का नामः— चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि . ...—......है0 क्षेत्र में....9.73.......कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। (कुल प्रस्तावित भूमि— 1.1463 है0)

प्रारूप—21

परियोजना का नामः— गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।

क्र.सं	भूमि की श्रेणी	विद्यमान वृक्षों की संख्या	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या	विवरण
1.	आरक्षित वन भूमि	—	—	—
2.	सिविल सोयम	—	—	—
3.	वन पंचायत	18	7 ~ 7	—
4.	संरक्षित वन	—	—	—
	योग :— वन भूमि	—		—
5.	नाप भूमि	—		—
	कुल योग :—	18	7	—

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल 18 ......वृक्षों में से वास्तविक रूप से केवल ......7......वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pey Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)
ह0/—
प्रयोक्ताएजेन्सी

वन क्षेत्राधिकारी
लोहबा रेंज
गैरसैंण (चमोली)

ह0/—
प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर।

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)

A.A.E
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
(Chamoli)

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि . ——— ....है0 क्षेत्र में......1.73......कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि– 1.1463 है0।

प्रारूप–22

परियोजना का नामः– गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक .... को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से बांज प्रजाति के निम्न वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं :–

क्रस	भूमि की श्रेणी	वनब्लाक / कम्पार्टमेन्ट / खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	योग
1.	आरक्षित वन भूमि		बाँज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	सिविल सोयम	—	बाँज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	वन पंचायत	तल्लागांव क0स0	बाँज	—	1	2	3	1	—	—	—	—	7
4.	संरक्षित वन	—	बाँज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	योग :– वन भूमि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	नाप भूमि	—	बाँज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल योग :–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7

उपरोक्तानुसार गणना किये गये बाँज वृक्षों का पातन परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है।

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

वन क्षेत्राधिकारी
लोहवा रेंज
गैरसैंण (चमोली)

ह0/–
वन संरक्षक,

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि .....है0 क्षेत्र में 9.73 कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। (कुल प्रस्तावित भूमि - 1.1463 है0)

प्रारूप–23

परियोजना का नामः– गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रयोक्ता एजेन्सी एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से आवेदित भूमि पर कोई वृक्ष प्रभावित नही हो रहे हैं।

Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)
ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

वन क्षेत्राधिकारी
लोहवा रेंज
गैरसैंण (चमोली)

ह0/–
Divisional Forest Officer
Kedarnath Wildlife Division
Gopeshwar
प्रभागीय वनाधिकारी

A.A.E
Const.Division
Uttarakhand Peyjal Nig.
Karanprayag (Ghamoli)

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)

परियोजना का नामः— चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि ....—..........है0 क्षेत्र में.....9.73.......कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि - 1.1463 है

प्रारूप—24

परियोजना का नामः— गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी
Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

वन क्षेत्राधिकारी
लोहबा रेंज
गैरसैंण (चमोली)

ह0/
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

A.A.E
Const.Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि . ....—.........है0 क्षेत्र में...9.73......किमी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि- 1.1463है0।

प्रारूप–25

परियोजना का नामः– गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित स्थल की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से हवाई दूरी ......10......किमी0 है। [signature]

[signature]
वन क्षेत्राधिकारी
लोहवा रेंज
गैरसैंण (चमोली)

[signature]
ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि .....है0 क्षेत्र में 9.73 कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि – 1.1463 है0।

प्रारूप–26

परियोजना का नामः– गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

(परियोजना के राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत प्रस्तावित होने अथवा राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा के 10.00 किमी0 की परिधि के अन्तर्गत होने की दशा में लागू)

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्नकिया जाना होगा।

ह0/–
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि .....है0 क्षेत्र में 7.73 कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि– 1.1463 है0।

प्रारूप–27

परियोजना का नामः– गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

(परियोजना के राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत प्रस्तावित होने की दशा में भारतीय वन्य जीव परिषद एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति)

(नोटः–लागू होने की दशा में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार भारतीय वन्य जीव परिषद एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर प्रस्ताव में संलग्न की जाय।)

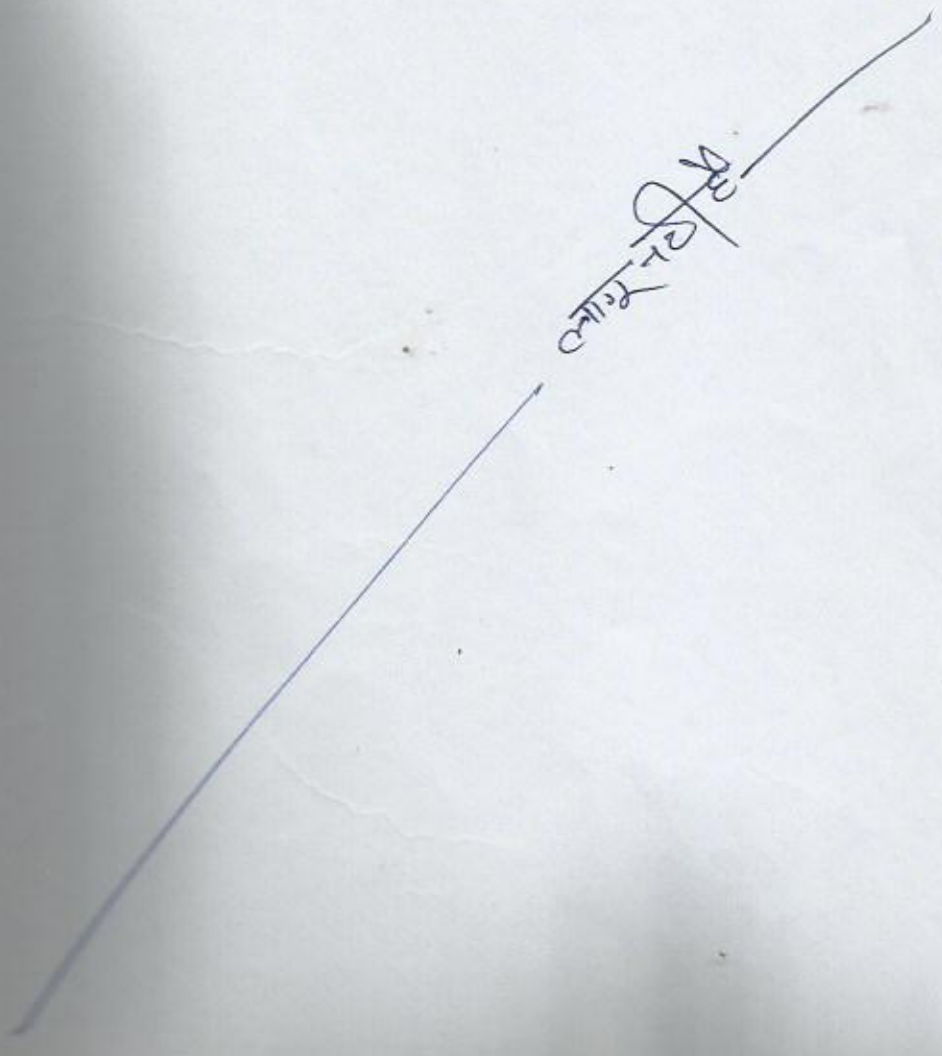

परियोजना का नामः— चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि ....है0 क्षेत्र में.....1.72.....कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि — 1.1463है0।

प्रारूप—28

परियोजना का नामः— गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण—पत्र

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले गॉवों की प्रत्येक ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव एवं अनापत्ति प्रमाण—पत्र संलग्न किया जाय। संलग्न है।

ह0/—
वार्ड मेम्बर/सरपंच
मुहर सहित

01

~~गैरसैण परियोजना~~

~~डिजं०व०/04/2019~~ 74-2

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता महोदय
उत्तराखण्ड पेयजल निगम, कर्णप्रयाग

महोदय, निवेदन से साथ अवगत करना है कि कार्यदेय विभाग के द्वारा रामगंगा नदी से मरोड़ीसैंण / गैरसैंण नगर पंचायत गैरसैंण हेतु जल निर्माण पेयजल का सर्वेक्षण का कार्य किया गया है। रामगंगा नदी से कालीमाटी एवं दिवालीखाल तक सम्पूर्ण ग्रामीण ग्राम पंचायत एवं वन पंचायत मरोड़ा की आ रही है, महोदय उक्त पेयजल के अन्तर्गत चयनित ग्रामीण को ग्राम पंचायत / वनपंचायत मरोड़ा निम्न शर्तों पर देय के तैयार है उत्तराखण्ड पेयजल निगम कर्णप्रयाग का

(1) उक्त जल निर्माण पेयजल से ग्राम पंचायत मरोड़ा के अन्तर्गत सम्पूर्ण गाँवों को पानी दिया जाय या ग्राम के इर्द गिर्द बनी पेयजल का एकीकृत किया जाय ताकि ग्रामों को पेयजल की सुविधा मिले तभी ग्राम पंचायत / वनपंचायत मरोड़ा वाले अपनी ग्रामीण को जल निर्माण पेयजल योजना के कार्य को करने हेतु देय को तैयार है, वन पंचायत निशुल्क भूमि प्रदान की जायेगी

दिनांक 21/3/2019

(सरपंच) (उपप्रधान) (ग्राम प्रधान)

राजिकि

ग्राम पंचायत मरोड़ा
हीरा देवी

अजबसिंह
खैरालाल कोली माटी
प्रताप सिंह
[illegible]
अमरसिंह
विक्रमसिंह
[illegible]सिंह
[illegible]सिंह
आनन्द सिंह
कुवरसिंह
Mohan Singh
[illegible]
जगदीश
अंकित पाल
अनिल कुमार
राजेसिंह
[illegible]

परियोजना का नामः— चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि .....है0 क्षेत्र में.....1.73.....कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि 1.1463 है0।

प्रारूप–29

परियोजना का नामः— गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

(5.00 हे0 से अधिक के प्रकरणों में लागू)

Block;- District;-

S.No.	Particulars	Amount in lakhs	Remark
1	Total cost (Investment incurred)		
(A)	Construction cost of the project		
(B)	N.P.V. Amount to be de[psoted @--- lakh/Ha		
(C)	Substitute/Alternative Plantation Cost to be Deposited:-		
(D)	Other cost if any		
	Grand Tota		
2	Benefits	Estimated Cost /yearly	Total benefit during the life of the ceated development
2.1	i. Direct Economic Benefits a. b. c.		
	Total direct benefits		
2.2	ii. Social Benefits a. b. c.		
	Total Social benefits		
2.3	iii. Economic Benefits a. b. c.		
	Total Ecological benefits		
2.4	iv. Other Benefits (if any) a. b.		
	Total benefits		
	Grand Total Benefits		

वन क्षेत्राधिकारी
लोहवा रेंज
गैरसैंण (चमोली)

Executive Engineer
Constuction Division

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि . ...है0 क्षेत्र में.....9.73.....कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि -1.1463 है0।

प्रारूप–29.1

परियोजना का नामः– गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

Parameter for Evaluation of loss of Forests

Name of Project:- Gairsain Pumping W/s scheme Nature of Proposal :-

Sl.no.	Parameters	Details
1	2	3
1	Loss of Value of timber, fuelwood and minor forest produce on an annual basis, including loss of man hours per annum of people who derived there livelihood and wage from the harvest of these commodities	
2	Loss of animals husbandry productivity including loss of fodder	
3	Cost of human resettlement	NIL
4	Loss of public facilities and administrative infrastructure (Roads, Buildings, Schools, Dispensaries, Electric lines, Railways etc.) on which would require forest land if these facilities were diverted due to the project.	
5	Environmental losses;(Soil erosion, effect on hydrological cycle, wildlife habitat, microclimate upsetting of ecological balance.)	
6	Suffering to oustees	

Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)
ह0/-
कर्णप्रयाग (चमोली)

वन क्षेत्राधिकारी
लोहबा रेंज
गैरसैंण (चमोली)

ह0/-
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

A.A.E
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)

परियोजना का नामः— चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि .…—…है0 क्षेत्र में…9.73…कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। (कुल प्रस्तावित भूमि 1.1463 है0)

प्रारूप—29.2

परियोजना का नामः— गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

Parameter for Evaluation of Benefit, notwithstanding loss of Forests

Name of Projct:-Gairsain Pumping W/s Scheme Nature of Proposal :

Sl.no.	Parameters	Details
1	Increase in productivity attributable to the specific project.	NIL
2	Benefits to economy	
3	No. of population benefited.	
4	Employment potential.	
5	Cost of acquisition of facility on non forest land wherever feasible.	
6	Loss of (a) agricuitural & (b) animal, husbandry production due to diversion of forest land.	
7	Cost of rehabilitating the displaced persons as different from compensatory amounts given for displacement.	
8	Cost of supply of free fuel-wood to workers residing in or near forest area during the period of construction.	

Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pey Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)
अधिशासी अभियन्ता

वन क्षेत्राधिकारी
लोहवा रेंज
गैरसैंण (चमोली)

ह0/
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

A.A.E
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि . ...—......है0 क्षेत्र में....9.73.....कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि- 1.1463 है0

प्रारूप–30

परियोजना का नामः– गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand   Office of the District Collector- CHAMOLI

No---   Dated----- 31-8-2019

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.1463 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of .... (name of user agency) for water supply scheme (purpose for diversion of forest land) in Chamoli..... district falls within jurisdiction of....... Nagar Panchayat Gairsain village (s) in..... Gairsain tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

प्रभागीय वनाधिकारी

जिला अधिकारी
चमोली

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि .....है0 क्षेत्र में.....7.73.....कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि – 1.1463 है0।

FORM-II
(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector---Chamoli

No--- Dated-----

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non- forest purposes, it is certified that 1.1463 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of UKPJN KPG. (name of user agency) for W/S Schm (purpose for diversion of forest land) in..... district falls within jurisdiction of..... village (s) in..... tehsils.
Gairsain

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

(b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of.... villages(s) is enclosed as annexure 01.. to annexure 03..

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: As above

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

प्रभागीय वनाधिकारी

Signature
(Full name and official seal of
the District Collector)

परियोजना का नामः— चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि ....—.......है0 क्षेत्र में.....9.73.....कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि 1.1463है।

प्रारूप—30.1

परियोजना का नामः— गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT --Chamoli--- (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of ..... district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of ~~Mr~~/Mrs/~~Miss~~. Swati S. Bhadoriya (I.A.S) deputy commissioner,. .... on dated 31-8-2019 at time 15.00 Hrs......... in which application claiming rights in Gairsain... area measuring .1.1463.. hect for the construction of Gairsain W/S Sch forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of ..Gairsain sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;..Chamoli

Dated:...31-8-2019

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

जिला अधिकारी
चमोली

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग

It is further certified thet-Minutes of Meeting of Construction of Gairsain Pumping Water Supply Scheme regarding FRA is as following:

Sl. No.		Remark
(a)	The Complete process of identification and settlement of right under the FRA had been carried out for the entire 1.1463. hectares of forest area civil, Soyam & reserve forest land proposed for Diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right committer (s), Sub division Level Committee (s) are enclosed as annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as requied under section 3 (2) of the FRA have been Completed and the Gram Sabhas have been given consent to it.	Yes copy of record attached as there are no havitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection Certificate concerned villages regarding construction of Water Supply Scheme is attached.
©	The Proposal does not invole recognized rights of Primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

वन क्षेत्राधिकारी
लोहवा रेंज
गैरसैंण (चमोली)

जिला पंचायत सदस्य

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

प्रभागीय वनाधिकारी
गोपेश्वर।

Executive Engineer
Construction Division,
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)
निर्माण शाखा,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
कर्णप्रयाग (चमोली)

जिलाधिकारी,
चमोली।

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम

तहसीलदार
गैरसैंण

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि . ....—.........है0 क्षेत्र में ....1.73.....कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि-1.1463है0।

प्रारूप–30.2

परियोजना का नामः– गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

कार्यालय उप जिलाधिकारी, गैरसैंण
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, ————

उपखण्ड गैरसैंण परिक्षेत्र के अन्तर्गत ———————— (——— है0 आरक्षित वन भूमि, — है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.1463 है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.1463 है0 वन भूमि) का 30प्र0 नि0 कार्यप्रभाग —प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील — गैरसैंण) की दिनांक ———— को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री वैभव गुप्ता, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यो की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री वैभव गुप्ता उपजिलाधिकारी ———— अध्यक्ष
2– श्री [illegible] उप प्रभागीय वनाधिकारी ———— सदस्य
3– श्री सुरेश [illegible] सहायक समाज कल्याण अधिकारी ———— सदस्य/सचिव
4– श्री राकेश [illegible] बी0डी0सी0 क्षेत्र आगरा ———— सदस्य
5– श्रीमती [illegible]देवी बी.डी.सी. क्षेत्र रामडा तल्ला
6– श्री आनंद [illegible] मरोड़ा

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही आरम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि ————————

गैरसैंण पंपिंग पे0यो0 परियोजना हेतु 1.1463 है0 वन भूमि —निर्माण शाखा 30प्र0 नि0 कार्यप्रभाग— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यो के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। परियोजना को संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ———— द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन
अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध मे ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।
बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ———— के अन्तर्गत गैरसैंण पंपिंग पे0यो0 परियोजना के निर्माण हेतु ....1.1463 है0 वन भूमि 30प्र0नि0 कार्यप्रभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

सीमा देवी
सदस्य क्षेत्र पंचायत
वार्ड सं0 26 रामडा तल्ला
वि0ख0 गैरसैंण (चमोली)

सदस्य क्षेत्र पंचायत
वार्ड सं0 24 रैंहिड़ा
वि0ख0 गैरसैंण (चमोली)

सदस्य क्षेत्र पंचायत
वार्ड सं0 14 मरोड़ा
वि0ख0 गैरसैंण (चमोली)

वार्ड सं0 11 सिलंगा

वन क्षेत्राधिकारी
लोहबा रेंज
गैरसैंण (चमोली)

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–............
जनपद ....

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी, ... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–..................

अनापति प्रमाण पत्र

वन पंचातयत......तलगाँव...ग्राम पंचायत मरोडा

प्रमाणित किया जाता है कि नगर पंचायत गैरसैंण जपपद चमोली के अन्तर्गत रामगंगा नदी से नगर पंचायत गैरसैंण पपिंग पेयजल योजना के अन्तर्गत जल संग्रहण टैंक एवं ट्रिटमेंट प्लान हेतु वन पंचायत......तलगाँव.................. ग्राम पंचायत मरोडा क्षेत्र की चयनित भूमि उत्तराखण्ड पेयजल निगम कर्णप्रयाग को निशुल्क प्रदान की जायेगी इसमें किसी भी प्रकार की आपति नही होगी।

ग्राम पंचायत मरोडा के अन्तर्गत सम्पूर्ण ग्रामों को भी पेयजल आपूर्ति होने पर ही निशुल्क चयनित भूमि दी जायेगी।

सरपंच वन पंचायत तलगॉव (मरोडा)

अध्यक्ष
वन पंचायत
मरोड़ा
(चमोली)

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि .……………है0 क्षेत्र में 9.73 कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि - 1.1463 है0

प्रारूप–30.4

परियोजना का नामः– गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

21/7/2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की
दिनांक उपस्थिति

नगर ~~ग्राम~~ पंचायत गैरसैंण

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	KUNWAR SINGH RAWAT	KRawat
2	बीना देवी राज वार्ड नं- २-	बीना देवी
3	राजेन्द्र रावत	[signature]
4	SAROJ SHAH word 04	[signature] 21/7/19
5	जगदीश सिंह भंडारी सभासद वार्ड 5	[signature] 21/07/2019
6	Rajendra Singh Shah ward no 06	[signature]
7	Dhiraj Singh ward 07	[signature] 21/7/19

[signature]
A.A.E
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nig.
Karanprayag (Chamoli)

[signature]

[signature] 21-7-2019
ह0/– अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी
ग्राम प्रधान नगर पंचायत गैरसैंण
जनपद- चमोली

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि .....है0 क्षेत्र में 9.73 कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि – 1.1463 है0।

प्रारूप–31

परियोजना का नामः– गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

(केवल जल विद्युत परियोजनाओं के लिये लागू)

मदवार विवरण

प्रस्तावित परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार/भूमिवार/क्षेत्रफलवार का विवरण।

क्रमांक	घटक/ कम्पोनेंट (Component)	आरक्षित वन भूमि (है0 में)	सिविल एवं सोयम भूमि (है0 में)	वन पंचायत भूमि (है0 में)	संरक्षित वन (है0 में)	कुल वन भूमि (है0 में)	नाप भूमि (है0 में)	कुल योग (है0 में)
योग:–								

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)

वन क्षेत्राधिकारी
लोहवा रेंज
गैरसैंण (चमोली)

Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karnprayag (Chamoli)

ह0/–
प्रयोता एजेन्सी

A.A.E
Const.Division

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर।

परियोजना का नामः— चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि . ——........है0 क्षेत्र में....9.73.......कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि - 1.1463 है0।

प्रारूप—32

परियोजना का नामः— गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

भवन निर्माण/जल विद्युत परियोजनाओं हेतु ले—आउट प्लान/मदवार विवरण दिया जाना होगा ।

लागू नहीं

Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

ह0
प्रयोक्ता एजेन्सी

वन क्षेत्राधिकारी
लोहवा रेंज
गैरसैंण (चमोली)

ह0
प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
प्रभागीय वनाधिकारी
गोपेश्वर।

A. A. E
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि .....है0 क्षेत्र में.....कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि 1.1463 है०।

प्रारूप–33

परियोजना का नामः– गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

भू–वैज्ञानिक की आख्या

(प्रस्तावित स्थल की भू–वैज्ञानिक द्वारा निर्गत अद्यतन निरीक्षण आख्या प्राप्त कर संलग्न की जाय।)

ह0/–
(भू–वैज्ञानिक
नाम व मुहर सहित

परियोजना का नामः— चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि ....—.........है0 क्षेत्र में......9.73......कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि – 1.1463 है०।

प्रारूप–34

परियोजना का नामः— गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों / सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों / संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

A.A.E.
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)

Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)
प्रयोक्ता एजेन्सी

परियोजना का नामः— चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि ....—..........है0 क्षेत्र में.9.13.........कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। (कुल प्रस्तावित भूमि—1.1463है0)

प्रारूप—35

परियोजना का नामः— गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.

(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.

(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.

(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

Apart from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.

(ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in road. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.

(iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen muck treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made.

(iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are to be provided for purpose of establishing the slips Growth vegetative cover is to be stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In

(v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and others engaged in construction of hill roads. these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियों का परियोजना के [illegible] के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

A.E.
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

सहायक अभियन्ता

Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pey[illegible]

परियोजना का नामः— चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि ..—...............है0 क्षेत्र में..9.73.........कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि— 1.1463 है0।

प्रारूप—36

परियोजना का नामः— गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण—पत्र
मानक शर्तें

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसकी वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा व अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
4. वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है किआवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
6. परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख—रेख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारों का रख—रखाव किया जायेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियो को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता एजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एव वन्य जन्तुओं के स्वछन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरीयों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः किसी प्रतिकर के भुगतान किये बिना वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता एजेन्सी न होने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरेखण तय करते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10—2—82 में

निहित आदेशों का पालन भी लो0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा। वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण कार्य करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।

12. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़नेवाले वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण सम्बन्धित वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरिडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को स्वयं के व्यय से करायेगा।
17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा सक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है।

A.A.E
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)

Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

50/-
प्रयोक्ता एजेन्सी

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि .....है0 क्षेत्र में 9.73 कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि 1.1463 है0

प्रारूप–37

परियोजना का नामः– गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नही है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नही की गई है।

Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)
ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

जिला अधिकारी
ह0/–
चमोली
जिलाधिकारी

A.A.E
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Niga.
Karanprayag (Chamoli)

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)

तहसीलदार
गैरसैंण

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि .....है0 क्षेत्र में 9.73 कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि 1.1463 है

प्रारूप–38

परियोजना का नामः– गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचायें जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख–रखाव के दौरान वन्य जीवों/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नही पहुँचाया जायेगा।

A.A.E
Const.Division
Uttarakhand Peyjal Niga
Karanprayag (Chamoli)

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)

Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि .....है0 क्षेत्र में 9.73 कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि 1.1463 है

प्रारूप–39

परियोजना का नामः– गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।

A.A.E
Const.Division
Uttarakhand Peyjal Nig.,
Karanprayag (Chamoli)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)

Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि .....है0 क्षेत्र में 2.73 कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। (कुल प्रस्तावित भूमि 1.1463 है0)

प्रारूप–40

परियोजना का नामः– गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध मे प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्नलिखित स्थानीय ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क0सं0	ग्राम/वार्ड का नाम	परिवारों की सं0	जनसंख्या
1	सलियाना	313	1565
2	गैड़	219	1096
3	गैरसैंण पूर्वी भाग	272	1362
4	गैरसैंण पश्चिमी भाग	187	917
5	कोलियाना	196	979
6	गांवली	294	1472
7	सैंजी	255	1274

A.A.E
Const.Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)

Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)
प्रयोक्ता एजेन्सी

तहसीलदार
गैरसैंण

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि ——.........है0 क्षेत्र में 7.73......कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि 1.1463है0।

प्रारूप–41

परियोजना का नामः– गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

वन भूमि के मूल्य/वार्षिक लीज रेन्ट का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रूपये..............प्रति है0 है तथा उक्त प्रयोजन हेतु........है0 वन भूमि का कुल प्रीमियम (मूल्य) रूपये..................होता है। उक्त वन भूमि का वार्षिक लीज रेन्ट प्रीमियम (मूल्य) का.............प्रतिशत की दर से रूपये.....................................प्रतिवर्ष होता है।

रेंज अधिकारी गैर०

ह0/–
जिलाधिकारी

तहसीलदार गैरसैंण

उप जिलाधिकारी गैरसैंण जनपद – चमोली

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि .....है0 क्षेत्र में 9.3 कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि- 1.1463 है

प्रारूप–42

परियोजना का नामः– गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षीय प्राक्कलन मय मानचित्र

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना के साथ संलग्न किया जाना है ।
लागू नहीं है।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

A.A.E.
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

ह0/–
सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

दो गुना क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य

प्राक्लन बाबत जनपद चमोली के विकास खण्ड गैरसैण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत पम्पिंग पेय जल योजना हेतु 1.4363 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड पेय जल निगम को हस्तान्तरण प्रस्ताव क्षति पूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत दोगुना क्षेत्र के 2.292 है0 में वृक्षारोपण कार्य।

क्र0 सं0	वर्ष	कार्य का विवरण	ल0	चौ0	ऊ/ग	मात्रा	दर	धनराशि
1	प्रथम वर्ष	1–सर्वेक्षण				2.292 है0	151.00/	346.09
		2– कुली दीवाल निर्माण कार्य	600	0.45	1.20	324 घमी	346.00/	112104.00
		3–गड्ढे खुदान /रेखांकन कार्य	0.30	0.30	0.45	4584 ग	994/प्रसै0 प्रति गढडा	45564.96
		4–पौधों की कीमत				4584 पौ0	9/–	41346.00
		5–भूमि/जल संरक्षण कार्य					L.S	165000.00
		6–उपकरण तेज करना					L.S	503.00
							योग प्रथम वर्ष	364864.05
2	द्वितीय वर्ष	1–पौधों की कीमत				4584 पौ0	2/–	9168.00
		2–गड्ढों का भरान	0.30	0.30	0.45	4584 ग	178/प्रसै0	8159.52
		3–9′×6 माप बैग के पौधों का सिरबोझ ढुलान 04 किमी0				4584 पौ0	229/किमी प्रति सै0	41989.44
		3–पौध ढुलान कार्य ट्रक में लोड अनलोड करना				4584 पौ0	135/सै0	6188.40
		4–ट्रक द्वारा पौधों का ढुलान 50 किमी0 दूरी से				4584 पौ0	11.20/ सै0प्रति कि0मी0	25670.40
		6–पौध रोपण करना				4584 पौ0	346/सै0	15860.64
		7–पौधों की प्रथम निराई गुडाई				4584 पौ0	238/सै0	10909.92
		8–पौधों की द्वितीय निराई गुडाई				4584 पौ0	205/सै0	9397.20
		9– पौधों की देखरेख कार्य माह अगस्त से फरवरी तक				7 माह	1364/माह	9548.00
		10–हथियार तेज करना /साइन बोर्ड बनाना					L.S	6000.00
							योग द्वितीय वर्ष	142891.52
3	तृतीय वर्ष	पौधों की देखरेख				12माह	1364/माह	16368.00
4	चतुर्थ वर्ष	पौधों की देखरेख				12माह	1364/माह	16368.00
5	पंचम वर्ष	पौधों की देखरेख				12माह	1364/माह	16368.00
6	षष्टम वर्ष	पौधो की देखरेख				12माह	1364/माह	16368.00
7	सप्तम वर्ष	पौधों की देखरेख				12माह	1364/माह	16368.00
8	अष्टम वर्ष	पौधों की देखरेख				12माह	1364/माह	16368.00
9	नवम वर्ष	पौधों की देखरेख				12माह	1364/माह	16368.00
10	दशवें वर्ष	पौधों की देखरेख				12माह	1364/माह	16368.00
							कुल योग–	638699.57
							या	638700.00

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

वन क्षेत्राधिकारी
लोहबा वन क्षेत्र गैरसैंण
गैरसैंण (चमोली)

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि .....है0 क्षेत्र में.....9.73.....कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि-1.1463है0

प्रारूप–43

परियोजना का नामः– गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित .....स्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

A.A.E
Const.Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि .....है0 क्षेत्र में 9.73 कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि 1.1463 है0।

प्रारूप–44

परियोजना का नामः– गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 1:50000 पैमाने का टोपोशीट का मानचित्र, जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो, संलग्न किया जाय। मानचित्र में समस्त सूचनाओं जी0पी0एस0 रीडिंग सहित दर्शाते हुए संकेत तालिका में भी दिया जाय।

वन क्षेत्राधिकारी
लोहवा रेंज
गैरसैंण (चमोली)

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी
कैदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

A.E.E
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nig.
Karanprayag (Chamoli)

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि .....है0 क्षेत्र में 9.73 कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। (कुल प्रस्तावित भूमि-1.1463है0)

प्रारूप–45

परियोजना का नामः– गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का रंगीन गूगल मानचित्र, जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो, संलग्न किया जाय। मानचित्र में समस्त सूचनाओं जी0पी0एस0 रीडिंग सहित दर्शाते हुए संकेत तालिका में भी दिया जाय। संलग्न है।

वन क्षेत्राधिकारी
गैरसैंण रेंज
गैरसैंण (चमोली)

ह0/–
Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)
परियोजना एजेन्सी

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर।

A.A.E
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nig.
Karanprayag (Chamoli)

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिंविल सोयम भूमि .....है0 क्षेत्र में 9.73 कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। (कुल प्रस्तावित भूमि 1.1463 है0)

प्रारूप–46

परियोजना का नामः– गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

परियोजना स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों/पथ वृक्षारोपण/100 वृक्षों/काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में दस गुना वृक्षों/बौनी प्रजातियों के वृक्षों के रोपण का प्राक्कलन संलग्न किया जाना है (जो भी लागू हो)

A.A.E
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)

Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

प्रयोक्ता एजेन्सी

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि .....है0 क्षेत्र में.....कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। (कुल प्रस्तावित भूमि 1.1463 है0)

प्रारूप–47

परियोजना का नामः– गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

प्रस्तावित कार्य हेतु यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं भूमिधरों का भूमिधर होने का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना है। (लागू नहीं है)

ह0 भूमिधर

ह0 राजस्व विभाग
नाम पद एवं मुहर सहित

तहसीलदार
गैरसैंण

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि ......—......है0 क्षेत्र में...9.73.....कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि 1.1463 है0

प्रारूप–48

परियोजना का नामः– गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुए अनुबन्ध की प्रति संलग्न की जाय।

ह0 भूमिधर | ह0 राजस्व विभाग नाम | पद एवं मुहर सहित

तहसीलदार
गैरसैंण

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि ——— है0 क्षेत्र में 9.73 कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि – 1.1463 है0

प्रारूप–49

परियोजना का नामः– गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

मलवा निस्तारण योजना इस मार्गदर्शिका के परिशिष्ट में दिये माडल अनुसार तैयार की जानी है। योजना के [illegible] मलवा योजना के आवश्यकता नहीं है। [illegible]

Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pey Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)
ह0 प्रयोक्ता एजेन्सी

वन क्षेत्राधिकारी
लोहवा रेंज
गैरसैंण (चमोली)

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

A.A.E
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)

परियोजना का नाम:– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि ——.........है0 क्षेत्र में 9.73........कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। (कुल प्रस्तावित भूमि 1.1463 है0)

प्रारूप–50

परियोजना का नाम:– गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :–

1. ईको–क्लास श्रेणी......V
2. हरियाली का घनत्व......0.1......
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति हे0......657000.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल......1.1463 है0
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि......7,53,119/-

वन क्षेत्राधिकारी
लोहवा रेंज
गैरसैंण (चमोली)

ह0/
प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि .....है0 क्षेत्र में.....1.73.....कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित 1.1463 है0

प्रारूप–51

परियोजना का नामः– गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

A.A.E
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nig.
Karanprayag (Chamoli)

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)

Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि ...—...है0 क्षेत्र में ...7.73... कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। (कुल प्रस्तावित क्षेत्र 1.1463 है0)

प्रारूप–52

परियोजना का नामः– गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर0सी0सी0 पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

क्र0सं0	कार्य का नाम	इकाई/संख्या	नपत मीटर में			मात्रा	इकाई	दर (रू0 में)	धनराशि (रू0 में)
			ल0	चौ0	ऊचाई				
1	आर0सी0सी0 पिलर निर्माण हेतु बुनियाद खोदना								
2	आर0सी0सी0 पिलर के बेस पर चुना व कोयला डालना								
3	1:2:4 सीमेन्ट मसाले में आर0सी0सी0 पिलर निर्माण								
4	आर0सी0सी0 कार्य हेतु सरिया क्रय करना								
5	पिलर में 1:4 मसाले प्लास्टर कार्य								
6	पिलर पर पिलर संख्या आदि लिखना								
7	पत्थरों की ढुलाई आदि								
	कुल योग								

लागू नहीं है

A.A.E
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nigam

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम

Executive Engineer
Constuction Division
उत्तराखण्ड पेयजल निगम

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि .....है0 क्षेत्र में....9.73.....कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। (कुल प्रस्तावित भूमि–1.1463 है0।

प्रारूप–53

परियोजना का नामः– गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

(वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में लागू) लीज अवधि का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि .....30..... (तीस) वर्षो की लीज पर ली जानी प्रस्तावित है।

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

A.A.E
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि .....है0 क्षेत्र में...1.23.....कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि 1.1463 है0

प्रारूप–54

परियोजना का नामः– गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

प्रभागीय वनाधिकारी
गोपेश्वर।

A.A.E
Const.Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Pey Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)

परियोजना का नामः— चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि ......—......है0 क्षेत्र में......7.73......कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। (कुल प्रस्तावित भूमि 1.1463 है0)

प्रारूप—55

परियोजना का नामः— गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना हेतु कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के जलसमेट क्षेत्र के समेकित उपचार हेतु वन विभाग द्वारा तैयार की गई कैचमैन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान (CAT PLAN) के क्रियान्वयन हेतु कैट प्लान में उल्लिखित धनराशि का भुगतान वन विभाग को उनकी माँग के अनुसार यथासमय किया जायेगा।

लागू नहीं है।

ह0/—
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0/—
प्रभागीय वनाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
लोहबा रेंज
गैरसैंण (चमोली)

A.A.E
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)

Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि ....——.........है0 क्षेत्र में...1.73.......कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। (कुल प्रस्तावित भूमि–1.1463है0)

प्रारूप–56

परियोजना का नामः– गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृती (यदि लागू हो) संलग्न की जाय।
लागू नहीं है।

A.A.E
Const.Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)

Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pey Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

परियोजना का नामः— चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि ——........है0 क्षेत्र में.....1.73.....कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। (कुल प्रस्तावित भूमि 1.1463 है0)

प्रारूप—57

परियोजना का नामः— गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र

पट्टा जिन्हें पहले वन (सरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मंजूरी दी गई है के सम्बन्ध में राज्य सरकारों और राज्य प्राविधकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा—2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमोदन लेने का फार्म।

लागू नहीं।

भाग—1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरा जाना है)

1. पत्र संख्या और तारीख जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मंजूरी दी है। (प्रति संलग्न करें)
2. परियोजना के विवरण :—
   (1) प्रस्ताव और परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण, जिसके लिये वन भूमि अपेक्षित है।
   (2) 1:50,000 के स्केल मैप पर वन के आस—पास की सीमा को दर्शाने वाला मानचित्र।
   (3) परियोजना की लागत।
3. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार ब्यौरा (जो पहले से ही ले ली है या लिए जाने वाली है)।
4. अनुदेशों के अन्तर्गत आवश्यक रूप से संलग्न किये जाने वाले प्रमाण—पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।

Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pey Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

पता (प्रयोक्ता एजेन्सी का)

तारीख

स्थान—

A.A.E.
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)

परियोजना का नामः– चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि ......—...... है0 क्षेत्र में ...9.73...... कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। (कुल प्रस्तावित भूमि 1.14632)

भाग– ।।

कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या....................

5– परियोजना/स्कीम का स्थान :–

- i) राज्य/संघ शासित क्षेत्रः
- ii) जिलाः
- iii) वन प्रभागः
- iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
- v) वन की कानूनी स्थिति
- vi) वानस्पति का घनत्व
- vii) अखण्डित क्षेत्र में वृक्षों की संख्या प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और व्यास श्रेणीवारः
- viii) क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयॉं अनुबन्धित की जाए)

6– क्या अधिनियम के उल्लघंन में कोई कार्य किया गया है (हॉं/नहीं) यदि हॉं, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें। क्या उल्लघंन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।

7– पूर्व अनुमोदन के दौरान निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट। (संलगन की जानी।)

8– प्रभाग/जिला प्रोफाइल

- i. जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल।
- ii. जिले का वन क्षेत्र।
- iii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।
- iv. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण
  (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि
  (ख) वनेत्तर भूमि पर

9– कारणों सहित प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिशें।

हस्ताक्षर
नाम
सरकारी मोहर

दिनांक ....

स्थान............

Index Plan of GAIRSAIN NAGAR PANC

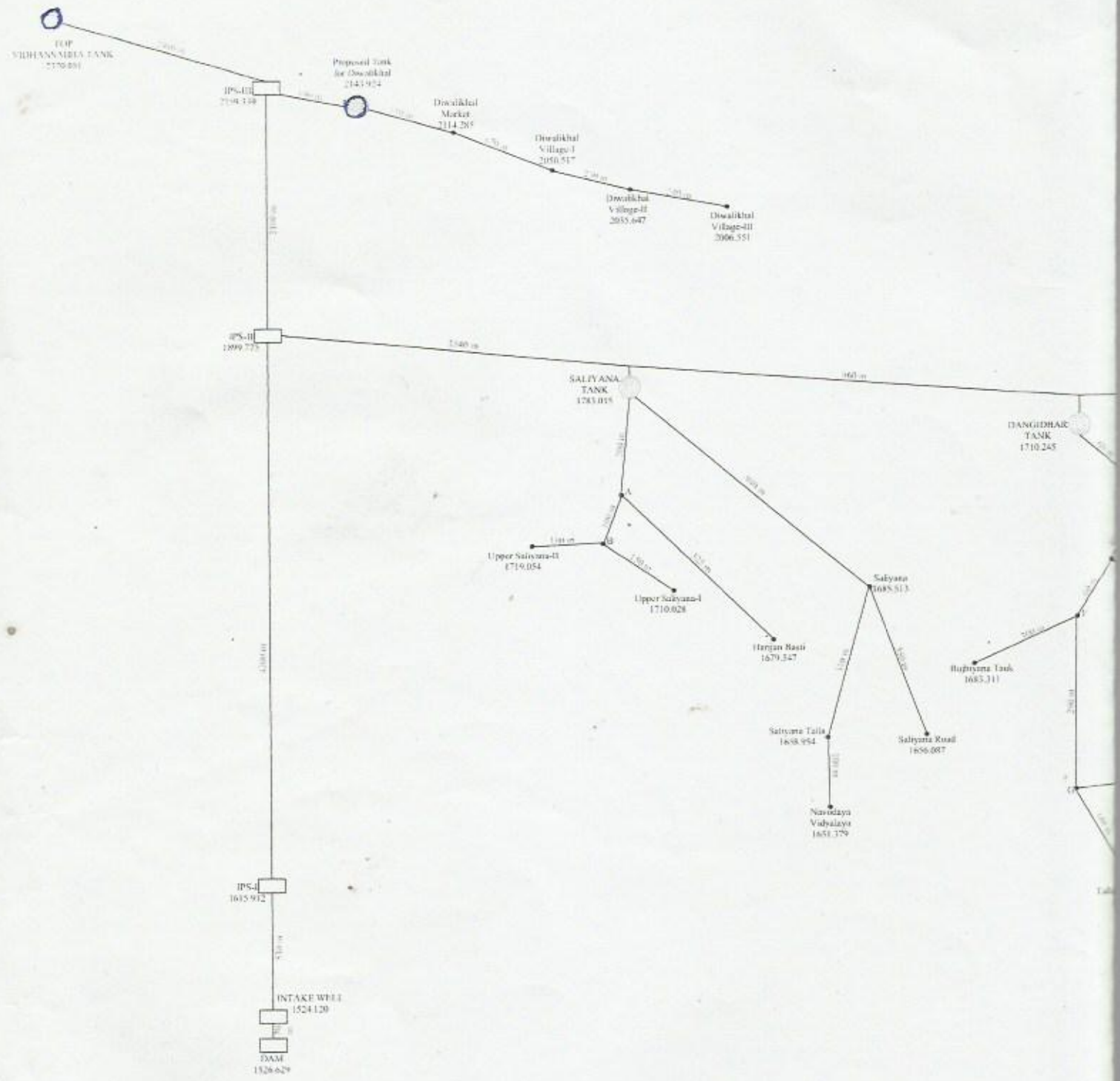

A.A.E

A.E.

EXER

CONSTRUCTION DIVISION

UTTARAKHAND PEYJAL NIGAM

NAME OF WORK

INDEX PLAN OF GAIRSAIN-VIDHANSABHA PUMPING W/S SCHEME

HAYAT PUMPING WATER SOPPLY SCHEME

LEGEND	
Junction Points	
Dia of Existing Pipe Line	
Distance of Proposed Pipe Line	350 m
Proposed Tank	
Existing Tank	
Rising Main	
Distribution Line	

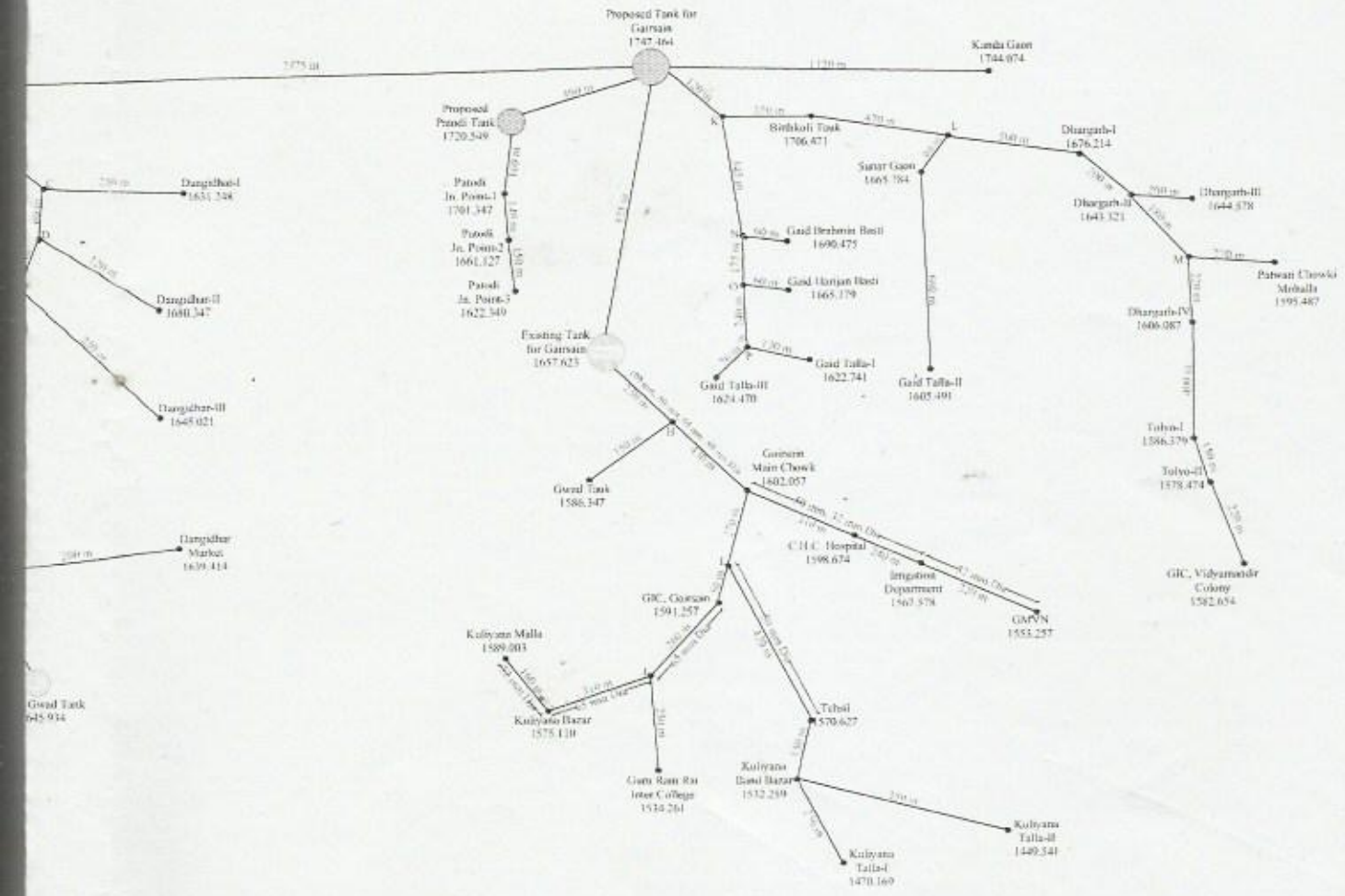

Surveyed & Drawing by

Vishapit Colony,
Indiranagar, Rishikesh-249201

SHEET NO. 1